राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प. 12(8)राज/वाद/10 जयपुर, दिनांक 18/5/15

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिला कलेक्टर।

परिपत्र

राजस्थान राज्य वादकरण नीति, 2011 के अध्याय प्रथम के अनुसार राज्य सरकार के विरूद्ध दायर होने वाले मुकदमों में कमी लाने के उद्धेश्य से न्यायालयों में राज्य के विरूद्ध बढ़ते हुए प्रकरणों की संख्या को देखते हुए उन्हें न्यायालय में दायर होने से पूर्व निपटाने हेतु विधि विभाग में गठित विशेष प्रकोष्ठ में विभिन्न विभागों से प्राप्त नोटिस प्रकरण मय तथ्यात्मक प्रतिवेदनों का परीक्षण कर तदनुसार प्रशासनिक विभाग को लिखा जाता है ताकि न्यायालय में दावा दायर होने से पूर्व ही विवाद का समाधान हो सके।

सामान्यतया यह देखने में आया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा विधिक नोटिस के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिलेख के मुताबिक शीघ्र तैयार नहीं किया जाकर बिना अभिलेख ही विशेष प्रकोष्ठ में परीक्षण हेतु बिना टिप्पणी काफी विलम्ब से भिजवायी जाती हैं जिसकी वजह से नोटिस में उठाये गये बिन्दुओं का सही समय पर सही परीक्षण नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से राजस्थान राज्य वादकरण नीति, 2011 के उद्धेश्यों के अनुसार कार्यवाही नहीं हो पाती है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को अवगत कराया जाता है कि राजस्थान राज्य वादकरण नीति, 2011 के अनुसार नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय संबंधित अभिलेख विशेष प्रकोष्ठ, विधि विभाग में भिजवाया जावे ताकि नोटिस में उठाये गये बिन्दुओं का समुचित ढंग से परीक्षण किया जाकर संबंधित विभाग को यथा समय आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली वापिस भिजवायी जा सके। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

18.5.15

(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव

19.05.15
Sr. L.O to pl. Keep it on guard file